(राजस्थान सरकार)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारीः— **सुमन देवी** II, आर.ए.एस.

जीसीएमएस नम्बर :— 2017/00196

राजस्व वाद सं.— 137/2017

1. होशियार सिंह पुत्र श्री गणपतराम जाति जाट निवासी लालामाण्डी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0

............वादी

बनाम

1. पितराम पुत्र किशना जाति जाट निवासी लालामाण्डी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
2. महावीर पुत्र किशना जाति जाट निवासी लालामाण्डी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
3. विजय सिंह पुत्र किशना जाति जाट निवासी लालामाण्डी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
4. एस. बी. आई. बैंक शाखा बुहाना जरिये शाखा प्रबंधक तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.

..............प्रतिवादीगण

दावा बाबतः— खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

—:निर्णयः— दिनांकः— 26/6/25

(1). वादी का वादपत्र रहा किः—

1. यह कि वाके ग्राम लालामाण्डी तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 40 रकबा 1.31 हैक्टर, खसरा नम्बर 110 रकबा 2.74 हैक्टर, खसरा नम्बर 111 रकबा 0.07 हैक्टर खसरा नम्बर 112 रकबा 2.95 हैक्टर, खसरा नम्बर 292 रकबा 0.30 हैक्टर खसरा नम्बर 296 रकबा 1.00 हैक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 8.37 हैक्टर में वादी का 1/3 दर्ज रिकार्ड है जिस पर वादी काबिज कास्त है।
2. यह कि वाद पत्र के खण्ड संख्या 1 में वर्णित भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 4/9 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का 2/9 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है।
3. यह कि वादी व प्रतिवादीगण ने संयुक्त खातेदारी भूमि का बाहमी बटवारा किया हुआ है तथा बाहमी बटवारे के अनुसार ही वादी व प्रतिवादीगण काबिज कास्त हैं लेकिन वादवर्णित भूमि का अभी तक विधिवत रूप से खाता विभाजन नहीं हुआ है।
4. यह कि वादी ने अपने हिस्से की कृषि भूमि में [illegible] से अपने कुए पर विधुत कनेक्शन ले रखा था जिसे वादी 2002 तक उपयोग उपभोग करता रहा तथा सन् 2002 में अस्थाई रूप से हटवाकर पुनः सन् 2015 में विधुत कनेक्शन ले लिया जो आज भी चालू है। तथा वादी उक्त कुए से अपनी कृषि भूमि सिंचित करने के लिए काम में ले रहा है। लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 वादी के उक्त कुए से सिचाई करने में बाधा उत्पन्न करते रहते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया कि:—

(क). कि वाके ग्राम लालामाण्डी तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 40 रकबा 1.31 हैक्टर, खसरा नम्बर 110 रकबा 2.74 हैक्टर, खसरा नम्बर 111 रकबा 0.07 हैक्टर खसरा नम्बर 112 रकबा 2.95 हैक्टर, खसरा नम्बर 292 रकबा 0.30 हैक्टर खसरा नम्बर 296 रकबा 1.00 हैक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 8.37 हैक्टर में वादी के 1/3 हिस्से का खाता विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

(ख). कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादी को उसके विधुत सम्बन्ध व कुए के उपयोग उपभोग में बांधा कारित ना करे। तथा विधुत मोटर राही करवाने में अड़चने ना डालें तथा वादी कुए में अपनी मोटर ना डाले। ऐसा ना तो स्वयं करें तथा ना ही अपने परिचितों से करवाए।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। प्रतिवादी संख्या 1 की और से श्री रामस्वरूप यादव एडवोकेट द्वारा वकालतनामा व जवाब दावा मय प्रतिदावा दिनांक 12.10.2017 को पेश किया गया। तथा प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 बावजूद तामील होने पर अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में दिनांक 23.03.2021 को लाई गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। व प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.05.2024 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 195 दिनांक 07.06.2024 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 2695 दिनांक 30.10.2024 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया ।

प्रतिदावा निम्न प्रकार रहा कि :—

1. यह कि वाके ग्राम लालामाण्डी पटवार हल्का उदामाण्डी स्थित हाल जमाबन्दी अनुसार ख0 न0 40 रकबा 1.31 है0, ख0 न0 110 रकबा 2.74 है0, ख0 न0 111 रकबा 0.07 है0, ख0 न0 112 रकबा 2.95 है0, ख0 न0 292 रकबा 0.30 है0, ख0 न0 296 रकबा 1.00 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 8.37 है0, में प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 4/9 भाग का खाता विभाजन कर अलग से खाता कायम कर लगान [illegible] रिकार्ड में अमल दरामद किया जाने के आदेश देवे।
2. यह कि प्रतिदावा के मद संख्या 1 में वर्णित ख0 न0 [illegible] रकबा 0.07 है0 में एक कुआ है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का 1/[illegible] भाग का हिस्सा [illegible] हुए कुआ का हिस्सा अनुसार विधिवत विभाजन कर प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा अल[illegible] किया जावे।
3. कि वाद वर्णित भूमि ख0 न0 40, 110, 111, 112, 292, 296, कुल किता 6 कुल रकबा 8.37 हैक्टर भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 4/9 भाग का खाता विभाजन कर प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

[illegible] आदि बनाम पितराम

संख्या 1 अलग से लगान कायम कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाने के आदेश देने की कृपा करे।

बहस के अनुसार ,शपथ पत्र, दस्तावेज, सहमति से प्राप्त कुर्र प्राप्त पर कोई ऐतराज नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2075–2078 वाके ग्राम लालामाण्डी स्थित भूमि हाल खाता संख्या 41, में वादी व प्रतिवादी सं. 1 के दर्ज हिस्से व मौका कब्जे काश्त अनुसार वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

–::आदेश::–

"न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम लालामाण्डी तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 40 रकबा 1.31 हैक्टर, खसरा नम्बर 110 रकबा 2.74 हैक्टर, खसरा नम्बर 111 रकबा 0.07 हैक्टर खसरा नम्बर 112 रकबा 2.95 हैक्टर, खसरा नम्बर 292 रकबा 0.30 हैक्टर खसरा नम्बर 296 रकबा 1.00 हैक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 8.37 हैक्टर में वादी व प्रतिवादी सं. 1 का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।"

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

निर्णय आज दिनांक 26/6/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– **सुमन देवी II**, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 137/2017 **जीसीएमएस नम्बर :– 2017/00196**

होशियार सिंह **बनाम** पितराम आदि

दावा बाबत– स्थाई निषेधाज्ञा एवं खाता विभाजन

–:निर्णयः–

वादी की ओर से **श्री मुकेश चौधरी एडवोकेट** की एवं प्रतिवादी सं. 1 की और से श्री रामस्वरूप यादव एड की उपस्थित में एवं शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिती में इस वाद को **सुमन देवी II उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम लालामाण्डी तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 40 रकबा 1.31 हैक्टर, खसरा नम्बर 110 रकबा 2.74 हैक्टर, खसरा नम्बर 111 रकबा 0.07 हैक्टर खसरा नम्बर 112 रकबा 2.95 हैक्टर, खसरा नम्बर 292 रकबा 0.30 हैक्टर खसरा नम्बर 296 रकबा 1.00 हैक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 8.37 हैक्टर में वादी व प्रतिवादी सं. 1 का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 26/6/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.10 13:28:43 IST
Reason: SelfAttested

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुन्झुनूं)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना